भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *502

जिसका उत्तर सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक) को दिया गया

ग्राहकों के बैंक खाते के विवरण की जानकारी अनधिकृत रूप से प्राप्त करना

†*502.श्री मनोज कुमारः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारी खाताधारक की स्पष्ट जानकारी के बिना ही ग्राहक के बैंक खाते की विस्तृत जानकारी जैसे कि शेष राशि, लेन-देन का ब्यौरा एवं केवाईसी संबंधी ब्यौरे और अन्य वित्तीय आंकड़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को बैंक अधिकारियों अथवा तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा लोगों के बैंक खाते के ब्यौरे की अनधिकृत अथवा अकारण ही जानकारी प्राप्त किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एक ऐसा विनियामक ढांचा शुरु करने का विचार रखती है जिसमें यह अनिवार्य हो कि किसी भी बैंक अधिकारी और तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी व्यक्ति के बैंक खाते के आंकड़ों से संबंधित जानकारी लिए जाने के प्रत्येक मामले को टाइमस्टैम्प, कर्मचारी की पहचान और जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य जैसे ब्यौरों के साथ अनिवार्य रूप से लॉग इन किया जाए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार "कस्टमर डाटा एक्सेस लॉग" प्रणाली और वास्तविक समय में अधिसूचना तंत्र स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को निदेश देने का है जब भी खाताधारकों के वित्तीय आंकड़ों के संबंध में जानकारी ली जाए तो एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से उन्हें सूचित किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"ग्राहकों के बैंक खाते के विवरण की जानकारी अनधिकृत रूप से प्राप्त करना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री मनोज कुमार द्वारा 30 मार्च, 2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *502 का विवरण।

(क) से (घ): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा प्रदान की जाने वाली और विभिन्न संविधियों के तहत अभिशासित वित्तीय सेवाओं में निजता और गोपनीयता, ग्राहक संबंधी सूचना पर आरई द्वारा गोपनीयता का पालन करने की गारंटी देती है। विनियमित संस्थाओं को विभिन्न कानूनों के तहत विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता के संबंध में सांविधिक अनुपालन आवश्यक है, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (धारा 44)
ii. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 (धारा 13)
iii. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (धारा 25)
iv. प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी अधिनियम, 2005 (धारा 29)
v. लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 (धारा 3)

इन क़ानूनों के लिए बैंकों से गोपनीयता का पालन करने और अपने घटकों के मामलों से संबंधित या उससे संबंधित किसी भी जानकारी को प्रकट नहीं करने की आवश्यकता होती है, सिवाय इसके कि जब कानून की बाध्यता हो या ऐसी परिस्थितियां हों, जो बैंकरों में प्रथागत कानून या प्रथाओं और उपयोगों के अनुसार, ऐसी जानकारी प्रकट करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त हों।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने सूचित किया है कि ग्राहक के खाते की सूचना तक पहुंच भूमिका-आधारित, आवश्यकता-आधारित है और वैध व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए केवल संबंधित बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों को ही इसकी अनुमति दी जाती है और प्रणाली लेखापरीक्षा परीक्षणों के भाग के रूप में ग्राहक डेटा एक्सेस लॉग बनाए जाते हैं। विभिन्न आरई के लिए आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन संबंधी आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, एक सेवा प्रदाता या उसके कर्मचारियों द्वारा ग्राहक जानकारी तक पहुंच 'आवश्यकता आधारित' होनी चाहिए, और बैंकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एक सेवा प्रदाता सूचना की गोपनीयता की रक्षा के लिए बैंक की ग्राहक जानकारी, दस्तावेजों, रिकॉर्ड और आस्तियों को पृथक करने और स्पष्ट रूप से पहचानने में सक्षम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक अधिकारियों या तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों के बैंक खाते के विवरण तक अनधिकृत या अस्पष्टीकृत पहुंच के संबंध में उसके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनियां) निदेश, 2005 के अनुसार, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनियों (सीआईसी) को ग्राहकों की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट विनिर्दिष्ट प्रयोक्ताओं *अर्थात्* क्रेडिट संस्था और सीआईसी द्वारा प्राप्त हो जाने पर एसएमएस अथवा ई-मेल *के माध्यम से* सूचित करना होता है।
आरबीआई समय-समय पर उपभोक्ता डेटा संरक्षण से संबंधित दिशानिर्देश जारी करता है, और अपनी पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, नियमित रूप से इसकी निगरानी करता है और अपने और अन्य निकायों द्वारा जारी डेटा संरक्षण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

सरकार ने डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 पारित किया है जो व्यक्तियों के निजी डाटा की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून है। इसके अलावा, डीपीडीपी नियम, 2025 को 14.11.2025 को

अधिसूचित किया गया है। डीपीडीपी अधिनियम, 2023 और डीपीडीपी नियम, 2025 डिजिटल वैयक्तिक डाटा के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक स्पष्ट और नागरिक-केंद्रित ढांचा बनाते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल और अन्य सरकारी निकायों सहित संबंधित विनियामक और निगरानी निकायों द्वारा जारी किए गए डाटा संरक्षण दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। बैंकों ने अपनी सूचना सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा नीति को सर्वोत्तम प्रथाओं और विनियामकीय दिशानिर्देशों के साथ संरेखित किया है।
